बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक: स्था02/02-06/2017 ....29.......... पटना, दिनांक....30.11.17

प्रेषक,

पुनम (भा०प्र०से)
निदेशक।

सेवा में,

सहायक निदेशक (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।
जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर (भभुआ), गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा औरंगाबाद, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, पूर्णियाँ, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी० चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, वैशाली, सारण, सिवान एवं गोपालगंज।

विषय:- केन्द्रीय योजनागत योजना ''लधु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तियुक्तकरण योजना'' शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष वर्ष 2017-18 में स्वीकृत्यादेश संख्या-2613 दिनांक 27.11.2017 के आलोक में ₹2,17,10,555/- (दो करोड़ सतरह लाख दस हजार पाँच सौ पच्चपन) रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरूद्धार मंत्रालय के लधु सिंचाई (सांख्यिकी) प्रभाग के पत्रांक-V-57/5/2014.MI(Stat) दिनांक-25.02.2015 द्वारा केन्द्रीय योजनागत योजना लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तियुक्तकरण योजना हेतु ₹5,02,50,915/-(पाँच करोड़ दो लाख पचास हजार नौ सौ पन्द्रह) रुपये का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया गया है एवं उक्त मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु उपलब्ध/विमुक्त राशि ₹2,17,10,555/- (दो करोड़ सतरह लाख दस हजार पाँच सौ पच्चपन) रुपये व्यय की अनुमति पत्रांक-V-57/5/2014.MI(Stat)519 दिनांक-17.07.2017 द्वारा प्रदान की गई है।

2. कंडिका-01 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध/विमुक्त की गई राशि ₹2,17,10,555/- (दो करोड़ सतरह लाख दस हजार पाँच सौ पच्चपन) रुपये संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए आवंटित की जाती है।

5. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष 205- राज्य सांख्यिकी एजेंसी, उप शीर्ष- 0405-लधु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तियुक्तकरण योजना शीर्ष के अंतर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं0-35 एवं विपत्र कोड-35-3454022050405 है।

6. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 एवं 2 से 39 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्रमशः सहायक निदेशक (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना तथा संबंधित सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे।

7. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विपत्र पर संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करेंगे । साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है ।

8. प्रत्येक परिस्थिति में मद्वार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय । इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

9. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रुप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगें।

10. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक 2793 दिनांक 04.04.2016 एवं 4572 दिनांक 03.06.2016 में उल्लेखित निदेश के साथ-साथ, समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा ।

11. स्वीककृत्यादेश/राज्यादेश संख्या-2613 दिनांक 27.11.2017 के आलोक में वित्तीय वर्ष- 2017-18 में आवंटित राशि का नियमानुसार पंचम लघु सिंचाई गणना 2013 से संबंधित कार्य हेतु व्यय किया जायेगा।

विश्वासभाजन

बजट सहायक प्रशाखा पदा० सहायक निदेशक

निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

ज्ञापांक ......29....../पटना, दिनांक ......30.11.17......

प्रतिलिपि: 1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

निदेशक

ज्ञापांक ......29....../पटना, दिनांक ......30.11.17......

प्रतिलिपि: 1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना

2. संबंधित सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक ......29....../पटना, दिनांक......30.11.17......

प्रतिलिपि: 1. योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग(बजट शाखा)

2. कार्यालय लेखापाल (दो प्रतियों में)/निर्गत प्रशाखा को निर्गत करने एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, कनीय सांख्यिकी सहायक, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सभी संबंधितो को ई-मेल से प्रेषित करने एवं श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग को निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक